न्यायालय राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्र. / निग / 3522 – III -15

तकत सिंह पिता नन्दराम जाति आंजना
व्यवसाय-कृषि निवासी ग्राम देवली तह.
पोलायकला जिला शाजापुर ....आवेदक

विरूद्ध

1. रामकुंवरबाई पति कमोदसिंह आयु 58 वर्ष, जाति खाती, व्यवसाय कृषि,
2. कमोदसिंह पिता आत्माराम आयु 60 वर्ष, जाति खाती, व्यवसाय कृषि,

निवासीगण-ग्राम देवली तह. पोलायकला
जिला शाजापुर ....अनावेदकगण

पुर्ननिरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील पोलायकला जिला शाजापुर द्वारा प्रकरण क्र. 05/अ-13 /2014-15 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निगरानी प्रस्तुत करता हूं :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

संक्षिप्त में प्रकरण यह है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार महोदय के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 131 व धारा 32 भू-राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे नं. 1092/2 रकबा 0.721 हेक्टर पर आने जाने हेतु शासकीय भूमि सर्वे नं. 1462 से होकर सर्वे क्र. 1128 ,1127 एवं 1126 से होकर है। सर्वे नं. 1092/4 1093/1व 1093/2 व 1124 मिन 2 1125,1126,1127/1व 1127/2 व 1128 की भूमि आवेदक तकत सिंह के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है।

यह कि, अनावेदकगण के स्वामित्व की कृषि भूमि सर्वे क्र. 1092/2 पर जाने के लिये रूढ़ीगत शासकीय मार्ग सर्वे क्र. 1072 व 1073 के मध्य मेढ़ से होते हुए मुगोद के रास्ते आते है और यह मुगोद का रास्ता ग्राम देवली में आगे जाकर मिल जाता है तथा इसी रास्ते का उपयोग पूर्व विक्रेता ओकारसिंह करते थे किन्तु

निरंतर 2

ps

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 3522–तीन/2015 जिला शाजापुर

तकत सिंह विरूद्ध रामकुंवर बाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.01.2016	आवेदक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पोलायकला जिला शाजापुर के प्रकरण कमांक 05/अ–13/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 29–09–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई । 1– अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष धारा 131 के एवं धारा 32 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे नम्बर 1092/2 रकबा 0.721 पर जाने हेतु शासकीय सर्वे नम्बर के अतिरिक्त आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि से भी रास्ता मांगा । तहसीलदार द्वारा अनावेदक की भूमि पर जाने के लिए आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 1092 में से दिया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की । 2– आवेदक अभिभाषक ने तर्क में बताया कि तहसीलदार द्वारा किए गये स्थल निरीक्षण में लिखा है कि 1092/2 पर रास्ता 20 वर्ष से बंद है । वर्तमान में उक्त सर्वे नम्बर का आवागमन अन्य सर्वे कमांक से होता है । स्थाई रूप से रास्ता नहीं है । अनावेदक द्वारा रास्ता चाहा गया वह सर्वे कमांक 1092 तथा 1093 की मध्यम की मेड को तोड़कर शामिल खेत बना लिया । वह परम्रागत रास्ता नहीं है, भूमि विकय होने के पश्चात् नए रास्ते की आवश्यकता अनावेदक को हुई । यह भी तर्क दिया कि स्थल निरीक्षण टीप में लिखा है कि दोनों पक्षों द्वारा बताए स्थानों पर	

रास्ते जैसे चिन्ह मौजूद नहीं है । पगडण्डी के अवशेष मौजूद है । प्रस्तावित स्थल पर बड़ी–बड़ी घास बताई है फिर भी रास्ता खोला गया । वैकल्पिक मार्ग होने के बाबजूद अंतरिम रूप से नवीन रास्ता दिया ।

3– प्रकरण में संलग्न स्थल निरीक्षण पंचनामा तथा स्थल निरीक्षण टीप दिनांक 24–09–15 की सत्याप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्थल निरीक्षण में उभय पक्ष द्वारा बताए गये रास्ते पर बड़ी–बड़ी घास खड़ी पाई गई तथा रास्ते के चिन्ह मौजूद नहीं, परन्तु पगडंडी के अवशेष पाए गए । पंचनामा में नक्शा नक्शा में लालस्याही से प्रदर्शित रास्ता लगभग 20 वर्ष से बंद बताया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 29–09–15 में आवेदक का धारा 32 का आवेदन इस कारण से भी स्वीकार किया कि आवेदिका की सोयाबीन की फसल कटी पड़ी है । अतः त्वरित उपचार के लिए उसके द्वारा मांगा गया रूढिगत रास्ता सर्वे कमांक 1092 के अनावेदक वाले हिस्से की मेढ से होकर स्वीकार किया गया । तहसीलदार ने प्रकरण के अंतिम निराकरण तक रास्ता खोलने का आदेश दिया है । चूंकि आवेदिका को त्वरित उपचार के लिए रास्ता खोला है । अतः अंतिम निराकरण तक जिसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है रास्ता खोलने का आदेश देना उचित नहीं । उक्त परिस्थिति में तहसीलदार को इस निर्देश के साथ कि प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण के उभय पक्ष के साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य तथा स्थल निरीक्षण कर तीन माह की अवधि में प्रकरण का अंतिम निराकरण करे प्रकरण समाप्त कर दाखिल रिकार्ड हो

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य